प्रस्तुत अपील में यह कथन रहा है कि विवादित आराजी चारागाह है एवं चारागाह भूमि में



# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर०ए०एस०)

अपील संख्या :– 41/2016 (223 आर०टी०एक्ट०)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00190

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर वहैसीयत लैण्ड होल्डर।
.....अपीलाण्ट

बनाम

1. शिव सिंह
2. बाबूलाल
3. नाहर सिंह

} पुत्रगण मनोहर जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम आदमपुर तह० बाडी जिला धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2013 प्रकरण संख्या 60/2013 उनवान शिव सिंह बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी।

उपस्थित :–

1. श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अभिभाषक ।
2. श्री निशान्त भार्गव अभिभाषक रैस्पो०।

निर्णय

दिनांक :–22.11.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय दिनांक 10.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो० ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी गत खसरा नम्बर 351 रकवा 34 बीघा 16 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 487 रकवा 28 बीघा 15 विस्वा व गत खसरा नम्बर 352 जिसका हाल खसरा नम्बर 475 रकवा 03 बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम आदमपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर में स्थित है। खसरा नम्बर 487 में से 01 बीघा 10 विस्वा और खसरा नम्बर 475 रकवा 03 बीघा 14 विस्वा में रैस्पो० के पिता मनोहर का पुराना कब्जा मानते हुये तथा वादी/रैस्पो० की अन्य आराजी के पास होने के कारण दिनांक 01.01.1966 को 05 बीघा 01 विस्वा जमीन एलोटमेन्ट कर पट्टा जारी कर दिया गया था। खसरा नम्बर 475 रकवा 03 बीघा 14 विस्वा आराजी पर तो मनोहर की खातेदारी दर्ज हो गयी। परन्तु खसरा नम्बर 487 को बन्दोबस्त विभाग द्वारा चारागाह घोषित कर दिया जिस कारण 01 बीघा 10 विस्वा जमीन रैस्पो० के पिता की खातेदारी में दर्ज नहीं हो पाई। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2013 से डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 01 को वादी/रैस्पो0 के पक्ष में तय करने में भारी भूल की है। रैस्पो0 ने दस्तावेजी साक्ष्य से अपना कब्जा सिद्ध नहीं किया है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज रही है एवं कानूनन ना तो उसका आवंटन हो सकता है एवं ना ही रैगूलाईज हो सकती है एवं ना ही चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। वादी/रैस्पो0 चारागाह भूमि पर मात्र एक अतिक्रमी है। उक्त आराजी पर कोई काश्त नहीं होती है। विवादित भूमि एक उसर भूमि थी जो मात्र पशुओ के चरने क काम आती थी। इसलिये बन्दोबस्त विभाग द्वारा विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकवे को चारागाह दर्ज किया था जो सही तथा कानूनन किया गया था। वादी/रैस्पो0 को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्ध हुआ था। अतः उन्हें विवादित आराजी में कोई अधिकार हासिल नहीं होते हैं।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–9 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 487, गत खसरा नम्बर 351 से बना है। जिसकी राजस्व अभिलेख में किस्म ऊसर दर्ज है एवं ऊसर भूमि की किस्म होती है वह चारागाह भूमि नहीं होती तथा ना ही उसके आवंटन नियमन पर रोक है तथा ना ही वह धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित भूमि है। विवादित भूमि की किस्म दौराने बंदोबस्त परिवर्तित की गयी है। राजस्थान काश्तकारी(गर्वरमेन्ट रूल्स) 7 में चारागाह घोषित किये जाने का प्रावधान है। इन प्रावधानों में बन्दोबस्त विभाग को चारागाह भूमि दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तो में एक स्वर में यह कथन किया गया है कि बंदोबस्त विभाग को भूमि की किस्म परिवर्तन करने तथा कृषको के अधिकार बदलने तथा राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करने का कोई अधिकार हासिल नहीं हैं। नकल नियमन आदेश प्रदर्श–6 व प्रदर्श–7 से मनोहर के पक्ष में नियमन होने का तथ्य साबित है। प्रदर्श–8 नकल आदेश नामांतकरण दर्शाता है कि उक्त नियमन के आधार पर नामान्तकरण का आदेश दिया गया था। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग ने विवादित भूमि को चारागाह घोषित करने में कानूनी त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी/अपीलाण्ट के अभिवचनो से वादीगण/रैस्पो0 का कब्जा साबित होता है। यहॉ यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा 5 प्रकरण सरकार बनाम दामोदर, सरकार बनाम शारदा, सरकार बनाम हीरालाल, सरकार बनाम रामपाल तथा सरकार बनाम रूप सिंह दिनांक 03.03.2014 को निर्णित की गई जिनमें सरकार की अपीले खारिज की गई थी। उक्त प्रकरण के तथ्य हस्तगत प्रकरण से पूर्णतः मेल खाते हैं। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2020(1) पेज 37, आरआरडी 1983 पेज 64, 364, 2001 पेज 244, 1991 पेज 428, 1987 पेज 492, आरबीजे 2020 पेज 126, 2016 पेज 303, राजस्थान काश्तकारी रूल्स 7 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-डीग

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में यह कथन रहा है कि विवादित आराजी चारागाह है एवं चारागाह भूमि में खातेदारी आंवटन नियमानुसार नहीं किये जा सकते। इसके अलावा विवादित आराजी पर रैसपो0 का कब्जा काश्त नहीं है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 6, 7 व 8 नकल आवंटन पट्टा, आवेदन पत्र एवं अमल दरामद आदेश जिसमें वादीगण/अपीलांट के पिता मनोहर पुत्र लक्ष्मन को पूर्व खसरा नम्बर 351 में से 1–10 एवं 352 में से 3–11 विस्वा भूमि का नियमन किया गया है एवं नियमन के पश्चात् खसरा नम्बर 352 जिसका हाल खसरा नम्बर 475 रकवा 0–14 विस्वा को वादीगण/अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी में दर्ज कर दिया परन्तु खसरा नम्बर 351 जिसका हाल खसरा नम्बर 487 रकवा 20–15 है में से 1–10 विस्वा आराजी का नामान्तकरण वादीगण/अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी में दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रदर्श 9 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 487 गत खसरा नम्बर 351 से बना है। बन्दोबस्त पूर्व, गत राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि चारागाह दर्ज ना होकर, ऊसर(सिवायचक) दर्ज है एवं बाद बन्दोबस्त, उसे चारागाह दर्ज किया गया है, जो कानूनन गलत है। जिसका बन्दोबस्त को कोई अधिकार हासिल नहीं था। उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी आवंटन से पूर्व चारागाह ना होकर सिवायचक दर्ज रही है एवं उसका नियमन किया जाना गैर कानूनी नहीं है। जहॉ तक विवादित आराजी पर रैस्पो0 के कब्जे का प्रश्न है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं अपीलाण्ट ने अपने जवाब दावा में विवादित आराजी पर रैस्पो0 का नाजायाज कब्जा की रिपोर्ट करना एवं उसे बेदखल करने की कार्यवाही किया जाना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना किया जाकर तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2013 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **कैम्प धौलपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
**प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–41/2016 (223 आर.टी.एक्ट.)**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर।
.....**अपीलांट।**

**बनाम**

1. शिवसिंह
2. बाबूलाल
3. नाहरसिंह

} पुत्रगण मनोहर जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम आदमपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।

..... **रेस्पोडेंट।**

**अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बाडी दिनांक 10.06.2013 प्रकरण संख्या 60/2013 उनवान शिवसिह बनाम सरकार।**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री गजेन्द्रसिंह राजकीय अभिभाषक मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट श्री निशांत भार्गव अभिभाषक रैस्पोडेंट मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2013 यथावत रखे जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....22.....माह.....11.....सन्.....2021.....को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

औहदा.....

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।